भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1847

30 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

महानगरों में शहरी बाढ़ प्रबंधन

†1847. सुश्री सयानी घोषः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने मॉनसून के दौरान बड़े महानगरों में बार-बार आने वाली बाढ़ और शहरी क्षेत्रों में जलभराव की समस्या का संज्ञान लिया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए राज्य सरकारों और नगर निगमों को कोई परामर्श, दिशानिर्देश या मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी किए गए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा पिछले पाँच वर्षों के दौरान महानगरों में शहरी क्षेत्रों में बाढ़ को कम करने, तूफ़ानी पानी की निकासी, बाढ़-रोधी अवसंरचना और संबंधित परियोजनाओं के लिए दी गई वित्तीय सहायता का शहर-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में बाढ़ के प्रबंधन के लिए नगर निगमों की तैयारी और क्षमता संबंधी आकलन किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ समन्वय से तकनीकी सहायता, वित्तपोषण, प्रशिक्षण, शुरुआती चेतावनी प्रणालियों और जलवायु-अनुकूल शहरी योजना के माध्यम से नगर निगमों की क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ): शहरी बाढ़ का प्रबंधन राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरी विकास प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में आता है, जो जल निकासी और सीवरेज प्रणाली के रखरखाव के लिए उत्तरदायी हैं। भारत सरकार योजनाबद्ध हस्तक्षेपों/परामर्शिकाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। यह शहरी नियोजन पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरी जल निकासी और बाढ़ प्रबंधन में सुधार हेतु निम्नलिखित दस्तावेज/परामर्शिका दिशानिर्देश प्रकाशित किए हैं:

(i) शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना नियमन और कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) दिशानिर्देश, **2014**

(https://www.mohua.gov.in/static/uploads/2025/10/1813403503fbec280e7648c0ae692512.pdf**)** और (https://www.mohua.gov.in/static/uploads/2025/10/dd392b7781e668614ae0446cfd114bc6.pdf)

(ii) शहरी बाढ़ के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) (https://www.mohua.gov.in/static/uploads/2025/11/580e35ec9fae474aaa96bec087e76553.pdf**)**

(iii) शहरों को प्रकृति-आधारित समाधान सहित संयुक्त जल प्रबंधन दृष्टिकोण के विकास में सक्षम बनाने के लिए **2021** में नदी केंद्रित शहरी नियोजन दिशानिर्देश

(https://www.mohua.gov.in/static/uploads/2025/10/eb2bdfc0d54766fbbc52e56fe77ca687.pdf)

(iv) वर्षा जल संचयन पार्कों के निर्माण के संबंध में मार्ग-दर्शी दस्तावेज **(https://www.mohua.gov.in/static/uploads/2025/10/b0b5705fe04d5c0c9c33187aeef85823.pdf)**

(v) तूफानी वर्षा जल निकासी प्रणाली नियमावली (https://www.mohua.gov.in/static/uploads/2025/10/8a2456c722036d78c72a698898ef846d.pdf**)**

वर्ष **2015** में शुरू किए गए अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) में अन्य बातों के साथ-साथ तूफानी जल निकासी भी एक घटक है, जिनमें बाढ़ की समस्या को कम करने और समाप्त करने के लिए नालों/वर्षा जल निकासी नालियों का निर्माण और सुधार करना, हरित क्षेत्रों और पार्कों का निर्माण से संबंधित परियोजनाएँ शामिल हैं। अमृत के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा **3022.39** करोड़ रुपये की **838** तूफानी वर्षा जल निकासी परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इसके अलावा, अमृत के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा **1,604.13** करोड़ रुपये की **2,522** हरित स्थान और पार्क परियोजनाएं शुरू की गई हैं और इन परियोजनाओं के माध्यम से **5,400** एकड़ पारगम्य हरित स्थान क्षेत्र विकसित किया गया है।

अमृत **2.0** के तहत, राज्यों द्वारा हरित स्थानों और पार्कों और जलाशय पुनरुद्धार हेतु परियोजनाएं शुरू की गई हैं। अमृत **2.0** के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के **1.21** लाख एकड़ क्षेत्र को कवर करने वाली **6,003.34** करोड़ रु. की लागत वाली **2,951** जलाशय पुनरुद्धार परियोजनाओं और लगभग **12,750** एकड़ क्षेत्र को कवर करने वाली **1,087.12** करोड़ रु. की लागत वाली **1,649** हरित क्षेत्र और पार्क परियोजनाओं के प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है।

इसके अलावा, अमृत और अमृत **2.0** के तहत सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जो अन्य बातों के साथ-साथ तूफान वर्षा जल निकासी में सहायता प्रदान करती हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अमृत पोर्टल पर अद्यतित जानकारी के अनुसार, अमृत के तहत **888** सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएं शुरू की गई है, जिससे लगभग **22,539** किलोमीटर लंबाई का सीवर नेटवर्क तैयार हुआ है। अमृत **2.0** के तहत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों ने **40,021** किलोमीटर सीवर नेटवर्क को कवर करते हुए **605** सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएं शुरू की हैं।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम (यूएफआरएमपी) के कार्यान्वयन के लिए नोडल प्राधिकरण है। **15**वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर, **2021-26** की अवधि के लिए युएफआरएमपी के लिए राष्ट्रीय आपदा शमन कोष **(**एनडीएफएम**)** के तहत **2,500** करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। यह कार्यक्रम चरण-**II** तक विस्तारित है, जिसके लिए कुल **2,444.42** करोड़ रु. की राशि आवंटित की गई है।

- चरण **I (**सर्वाधिक बाढ़ संभावित मेट्रो शहर): इस कार्यक्रम में सात शहर शामिल हैं। इसके अंतर्गत मुंबई, चेन्नई और कोलकाता प्रत्येक के लिए **500** करोड़ रुपए तथा बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद प्रत्येक के लिए **250** करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।
- चरण **II** (टियर- **II** शहर): यह कार्यक्रम गुवाहाटी, पटना, कानपुर, तिरुवनंतपुरम, विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर, भोपाल, जयपुर, इंदौर, लखनऊ तथा रायपुर सहित **11** अतिरिक्त शहरों तक विस्तारित किया गया है। इसके अंतर्गत प्रत्येक शहर के लिए **222.22** करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है।

इस कार्यक्रम का व्यापक उद्देश्य समन्वित शहरी नियोजन, बेहतर जल निकासी इंफ्रास्ट्रक्चर और लक्षित संरचनात्मक तथा गैर-संरचनात्मक बाढ़ शमन हस्तक्षेपों के माध्यम से बाढ़ की समस्या से निपटने की क्षमता को मजबूत करना है।

शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम (यूएफआरएमपी) के प्रथम चरण के अंतर्गत, एनडीएमएफ से 7 प्रमुख महानगरीय शहरों के लिए कुल **2500** करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई थी। व्यय विभाग ने सभी सात शहरों को पहली किस्त (चेन्नई को छोड़कर, जिन्हें उनकी दूसरी किस्त मिली) जारी कर दी है। अक्टूबर **2025** में, उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी**)** ने **2200** करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ **11** अतिरिक्त शहरों के लिए शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम (यूएफआरएमपी**)** के चरण **II** को अनुमोदन दिया। स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या, एनडीएमएफ/राज्य का हिस्सा और जारी की गई धनराशि इस प्रकार है:

शहर	शमन संबंधी उपाय	एनडीएमएफ का हिस्सा (करोड़ रुपए में)	राज्य का हिस्सा (करोड़ रुपए में)	कुल बजट (करोड़ रुपए में)	जारी (एनडीएमएफ का हिस्सा) (करोड़ रुपए में)
चरण - I					
मुंबई (महाराष्ट्र)	6	500	207.71	707.71	150
पुणे (महाराष्ट्र)	9	250	36.69	286.69	75
हैदराबाद (तेलंगाना)	4	250	69.53	319.53	75
कोलकाता (पश्चिम बंगाल)	6	500	150.43	650.43	150
बेंगलुरु (कर्नाटक)	12	238.72	36.28	275	71.616
अहमदाबाद (गुजरात)	6	243.90	31.10	275	73.17
चेन्नई (तमिलनाडु)	5	500	61.29	561.29	331.5
कुल	48	2482.62	593.03	3075.65	926.286
चरण - II					
गुवाहाटी (असम)	8	180	20	200	54

(ङ) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय यूएलबी पदाधिकारियों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, ठेकेदारों, छात्रों, महिलाओं और नागरिकों की क्षमताओं में सुधार के लिए मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं जैसे अमृत/अमृत **2.0** के माध्यम से राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) की क्षमता निर्माण गतिविधियों में सहायता कर रहा है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने विभिन्न क्षेत्रों में **4** संस्थानों को शहरी नियोजन और डिजाइन में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के रूप में नामित किया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ सिविल सेवकों, राज्य नगर नियोजकों, नगरपालिका अधिकारियों, चिकित्सकों/पेशेवरों, युवा छात्रों आदि को प्रमाणित प्रशिक्षण/प्रमाणित पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। इन केंद्रों में से प्रत्येक को **250** करोड़ रुपये की अक्षयनिधि प्रदान की गई है।

इसके अलावा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने क्षमता निर्माण के लिए **6** संस्थानों को अमृत वित्त पोषित शहरी नियोजन केंद्र के रूप में भी नामित किया है। इन संस्थानों के लिए परिकल्पित भूमिका में अन्य बातों के साथ-साथ नगर निगम अधिकारियों/नगर एवं ग्राम नियोजन अधिकारियों को विषय विशिष्ट प्रशिक्षण, राज्य/स्थानीय प्राधिकरणों के क्षमता निर्माण को बढ़ाना और शहरी नियोजन में उनकी सहायता करना शामिल है।
